अधिवक्ता वादीगण ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया है वाद की
ता बाबत वादीगण ने पीडब्ल्यू 1 सीताराम पिता भंवरदास जाति बैरागी नि0 गुढ़ा एवं
ब्ल्यू 2 भेरूलाल पिता नन्दा जाति धाकड़ नि0 गुढ़ा के बयान कराये हैं। उक्त वादीगण
भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की
थापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की हैं। बेदखली की अवधि से कब्जा प्राप्ति तक का क्षति पूर्ति
बदले में मुआवजा दिलाये जाने की मांग की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन
या।

पत्रावली में वादीगण द्वारा मौजा ग्राम आटी पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियों
स्थित आराजी संख्या 472/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर से प्रतिवादीगण राहुल, अंकित पिता
, सन्तोष पत्नि स्व0 राजू जाति बन्जारा निवासी चम्पापुर को एवं आराजी नम्बर 472/5
बा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में से 0.2220 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी गोरू पिता आसु
जारा निवासी चम्पापुर को एवं 0.2040 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी प्रकाश पिता हरिसिंह
जारा निवासी चम्पापुर को एवं 0.1619 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी रोडू पिता मांगू बन्जारा
वासी चम्पापुर का कब्जा हटाया जाकर वादीगण को पुनः कब्जा सिपुर्द किये जाने की
की बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण चाही हैं। जो वादीगण की पत्रावली में पेश
तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किये
ने योग्य हैं।

—: आदेश :—

अतः वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 183– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**
क वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 डिक्री किया जाकर आदेश दिये
ते हैं कि मौजा ग्राम आटी पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियों में स्थित आराजी
ख्या 472/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर से प्रतिवादीगण राहुल, अंकित पिता राजू, सन्तोष
न स्व0 राजू जाति बन्जारा निवासी चम्पापुर को एवं आराजी नम्बर 472/5 रकबा 0.
94 हैक्टेयर भूमि में से 0.2220 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी गोरू पिता आसु बन्जारा
वासी चम्पापुर को एवं 0.2040 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी प्रकाश पिता हरिसिंह बन्जारा
वासी चम्पापुर को एवं 0.1619 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी रोडू पिता मांगू बन्जारा निवासी
पापुर को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। एवं वादीगण की
राजीयात पर प्रतिवादीगण द्वारा पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करने, वादीगण को
खल नहीं करने, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने न ही किसी अन्य
करवाने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती हैं। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना
न करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब की जावें।

आदेश आज दिनांक 07/07/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में
नाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

पंडित दीनदयाल उपाध्याय
संबल पखवाड़ा 2025, बिजौलियां

कुल किता 02 रकबा 1.6188 हैक्टेयर भूमि वादीगण की खातेदारी अधिकार आधिपत्य की होकर राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज रेकॉर्ड है जो वादीगण के उपयोग उपभोग में चली आ रही है तथा वादीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। एवं लगान राज्य सरकार में जमा करवाते आ रहे हैं। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजीयात के पड़ौसी है वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात का रहन विक्रय व किसी प्रकार का हस्तांतरण नहीं किया है। दिनांक 19.06.2024 की पत्थरगढ़ी मौका पर्चा अनुसार वादीगण की वादग्रस्त आराजी नम्बर 472/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का एवं आराजी नम्बर 472/5 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में से 0.2220 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 का एवं 0.2024 हैक्टेयर भूमि पर, प्रतिवादी संख्या 5 का एवं 0.1619 हैक्टेयर भूमि पर, प्रतिवादी संख्या 6 का अवैध कब्जा पाया गया। पत्थरगढ़ी करते समय वादग्रस्त आराजी के कोनो व मेड़ पर नपती कर निशानात पत्थर गाढ़ कर किये गये जिनको प्रतिवादीगण ने उखाड़ कर हटा दिये हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त भूमि से कब्जा हटाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण कब्जा हटाने के लिये तैयार नही हुये और कब्जा वादी को नहीं सोपा इसलिए वाद कारण उत्पन्न हुआ।

वादीगण ने अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम आटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियों में स्थित आराजी संख्या 472/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को एवं आराजी नम्बर 472/5 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि में से 0.2220 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 4 को एवं 0.2040 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 5 को एवं 0.1619 हैक्टेयर भूमि से प्रतिवादी संख्या 6 को वादीगण की भूमि से बेदखल किया जाकर वादग्रस्त आराजियात का कब्जा वादीगण को पुनः सिपूर्द किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावें प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि वादीगण की खातेदारी भूमि पर कब्जे काश्त में व उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें व न ही किसी अन्य से करवाये।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से वाबजूद तामिल असालतन/वकालतन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

साक्ष्यवादी में में पीडब्ल्यू–1 सीताराम पिता भंवरदास जाति बैरागी नि0 गुढ़ा एवं पीडब्ल्यू–2 भेरूलाल पिता नन्दा जाति धाकड़ नि0 गुढ़ा को प्रस्तुत कर कथन लेखबद्ध करवाये गये हैं। जो शामिल पत्रावली हैं।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण द्वारा नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 मौजा आटी की नकल पेश की जो ExP-1 हैं। मौका पर्चा की सत्यापित प्रतिलिपि ExP-2 पेश की हैं।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का कोई जवाबदावा, साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही होने से शहादत बन्द की जाकर प्रकरण बहस में रखा गया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय सुनी गयी।

लगातार पेज संख्या 03

शिविर प्रभारी
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
सम्बल पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमान अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या :– 130 / 2024 **दायर तारीख 18.07.2024**

अनवान

1. महावीर पिता भंवरदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी गुढा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)
2. शंकर पिता भंवरदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी गुढा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)
3. सीताराम पिता भंवरदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी गुढा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)
4. प्रेम पुत्री भंवरदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)
5. धन्नीबाई पत्नि स्व0 भंवरदास जाति बैरागी उम्र बालिग निवासी गुढ़ा तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)

.......वादीगण

बनाम

1. राहुल पिता राजू जाति बन्जारा उम्र बालिग निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)
2. अंकित पिता राजू जाति बन्जारा उम्र बालिग निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)
3. सन्तोष पत्नि स्व0 राजू जाति बन्जारा उम्र बालिग निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)
4. गोरू पिता आसु जाति बन्जारा उम्र बालिग निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)
5. प्रकाश पिता हरिसिंह जाति बन्जारा उम्र बालिग निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)
6. रोडू पिता मांगू जाति बन्जारा उम्र बालिग निवासी चम्पापुर तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक : 07/07/2025

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वादपत्र अन्तर्गत **धारा 183–188 राजस्थान काश्तकारी** अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम आटी पटवार हल्का गुढ़ा तहसील बिजौलियों में स्थित आराजी संख्या 472/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर, आराजी संख्या 472/5 रकबा 0.8094 हैक्टेयर

शिविर प्रभारी
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय
सम्बल पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ

लगातार पेज संख्या 02 पर

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...ज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिल...

राज्य .... बनाम .... राहुल

...रूम मुकदमा धारा 183-188 .... प्रकरण संख्या

CMS नम्बर:- 2024/396

...रीख ...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
.../25	[illegible]वली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी [illegible]उपस्थित श्रीमान PO ... दौरे पर है। पत्रावली [illegible] 3/6/2025 को ... पेश हो। उपखण्ड अधिकारी
.../25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली में साक्ष्यवादी संलग्न पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 17/6/25 को पेश हो
.../25	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 24/6/25 को पेश हो
	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 07/07/25 को पेश हो
	पत्रावली शुद्ध कैम्प में पेश हुई प्रार्थी को स्वीकार किया गया। पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली ग्राम्य से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

शिविर प्रभारी

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय सम्बल पखवाड़ा 2025, बिजौलियाँ

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

महावीर बनाम राहुल

किस्म मुकदमा धारा 183-188 नम्बर 130 सन 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/7/2024	वाद पत्र सीगे से बाद जॉच पेश हुआ। अधिवक्ता वादी उपस्थित। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र विपक्षी/विपक्षीगणों को जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 20/8/2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	
20/8/24	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते तलबी आगामी दिनांक 3/9/24 को पेश हो	
3/9/24	पत्रावली पेश हुई समस्त विपक्षीगण की बाद तामील प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते उचित आदेश आगामी दिनांक 10/9/24 को पेश हो।	
10/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 24/9/24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
24/9/24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 16/10/24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
16-10-24	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 12-11-24 को वास्ते उ. आ. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	